

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पूरे राज्य के लिये दवा एवं उपकरण की दर एवं गुणवत्ता में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अंतर्गत "राज्य स्वास्थ्य समिति" को पूरे राज्य के अंतर्गत दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपकरण एवं सेवाओं के क्रय हेतु दर निर्धारण करने के लिये "राज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(के.एम. शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-एम4-35/2002

दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 500 प्रतियाँ वित्त शाखा-4 को शीघ्र उपलब्ध कराई जायें।

ह./-

(के.एम. शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-एम4-35/2002

दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(के.एम. शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-एम4-35/2002

दिनांक-

प्रतिलिपि-राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

(के.एम. शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-एम4-35/2002

दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के.एम. शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव